IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, May 2022
Impact Factor: 6.252

अनुसूचितजनजाति की बालिकाओं में शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन सीधी जिले के विशेष सन्दर्भ में

Dr. Madhulika Shrivastava
Professor, Department of Sociology
Government Thakur Ranmat Singh College, Rewa, (M.P.), India

सारांश

भारतीय सामाजिक संगठन जनजातीय–संस्कृति का अनुपम अभिव्यक्ति है। भूतकालीन एवं वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे जनजाति को एक ऐसे अर्न्तविवाही बन्द समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी मुख्य विशेषता जन्म द्वारा सदस्यता, अधिकारों व कर्त्तव्यों का निर्धारण, अर्न्तजातीय खान–पान पर प्रतिबन्ध तथा सामाजिक संस्तरण में ऊँच–नीच पर आधारित तथा भेद–भाव, पद और स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से जनशक्ति सरंचना और शिक्षा द्वारा निर्धारण है। मूल रूप से जनजाति हिन्दू पवित्रता, श्रेष्ठता एवं हीनता के अवधारणा पर आधारित आदर्शात्मक एवं मूल्यात्मक सम्बन्धों की एक व्यवस्था है। इसमें निहित श्रेष्ठता एवं हीनता की अवधारणाओं द्वारा भारतीय समाज संरचना में कुछ ऐसे पूर्वाग्रह, जैसे–मूल्य तथा व्यवहार–प्रतिमान उत्पन्न हुए जिससे समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक निर्योग्यताओ का उदय हुआ। फलतः समाज के कुछ वर्गों को निम्नतर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इन वर्गों में ऐसी मनोवृत्तियों का जन्म हुआ है जिसके कारण देश के समक्ष सामाजिक बिलगाव, पिछड़ापन, निर्धनता, अशिक्षा, प्राविधिक मन्दता तथा पारस्परिक द्वेष एंव घृणा की भावना जैसी समस्याएँ विकसित हुई। सामाजिक विरासत के रूप मे प्रदत्त इन अमानवीय, असामाजिक तथा अनैतिक निर्योग्यताओं से युक्त वर्ग को समाज में ''अस्पृश्य (अनुसूचित जनजाति) की संज्ञा दी गई। ये जनजातियाँ करीब ग्यारह सौ जनजातियों व उप–जनजातियों में विभक्त हैं। यह विभाज व्यक्ति को सामाजिक संस्तरण में पद और प्रस्थिति का बोध कराने के साथ ही मूल्यों और प्रतिमानों के माध्यम से समाजीकरण कराती है। जन्मजात सदस्यता होने के वजह से अस्पृश्यों की प्रस्थिति में आजन्म परिवर्तन नहीं होता और वे अमानुषिक जीवन जीने को विवश होते हैं।

वैसे तो चातुरवर्ण सिद्धान्त के अनुसार 'शुद्र' ही अछूत/अस्पृश्य अनुसूचित जनजाति के कहे जाते हैं, किन्तु इस मान्यता को कुछ विद्वान नकारते भी हैं। घुरिये वैदिक काल में धर्मवादी शुद्धता की धारणा अत्यन्त प्रखर थी। परन्तु अस्पृश्यता की धारणा आज जिस रूप में है, वैसी नहीं थी। आपका विचार है कि ईसा से 800 वर्ष पूर्व धार्मिक पवित्रता की भावना पूर्णरूप से देखने को लिए बना हुआ है।

मनुस्मृति के अन्तर्गत शूद्रों (दलित वर्ग) एवं महिलाओं को सीमित अधिकार प्रदान किये गये थे जिनमें कर्तव्य अधिक थे और अधिकार कम। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था किन्तु धीरे–धीरे इस वर्ग और जनजाति की स्थापना वंश के आधार पर होने लगी और यही से शोषण प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इस प्रकार भारतीय सामाजिक संरचना में धार्मिक वैधानिकता ने सामाजिक किया कलापों पर पूर्ण अधिकार कर उच्च वर्गों के अधिकारों तथा श्रेष्ठताओं को अक्षुण्य बन दिया। फलस्वरूप समाज के कमजोर वर्ग आर्थिक, सामाजिक, तथा शैक्षिक रूप से और भी कमजोर होते चले गये और ब्राह्मण वर्ग ने अनुसूचित जनजाति को शूद्र वर्ग के अन्तर्गत मानकर इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से भी वचित कर दिया। समाज सेवी संस्थाओं की ओर से भी इस वर्ग विशेष की शिक्षा की कोई व्यवस्था 19वीं शताब्दी तक नही की गयी।।

समाज का प्रमुख आधार मनुष्य होता है जब तक मनुष्य को शिक्षा के माध्यम से उसकी अन्तर्निहित शक्तियों से आवगत न कराया जाये, तब तक उसका शारीरिक मानसिक, संवेगात्मक आध्यात्मिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास सम्भव नही है। बालक के सर्वागीण विकास के अभाव में समाज की नींव एवं व्यवस्था सृदृढ़ नहीं हो सकती क्योंकि शिक्षा जीवन को व्यावहारिक धरातल प्रदान करती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सच्चाईयों को उजागर करती है प्रत्येक व्यक्ति का प्रसंग आते ही दिशा में सदियों से उपेक्षित एवं शोषित जनजातियों की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है, जिसने जनजातिभेद की समस्या को जन्म दिया।

जनजाति भेद की समस्या का सूत्रपात वैदिक कालीन सामज व्यवस्था से प्रारम्भ होता है। वर्ण व्यवस्था का जब कोई नाम लेता है, तो वेदों, पुराणों और स्मृतियों में अकित सीमित अधिकारों की ओर अनायास ही ध्यान आकर्षित हो जाता

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, May 2022
Impact Factor: 6.252

है, क्योंकि मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण, प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है, यदि शिक्षा के गौरवपूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है, कि भारतीय शिक्षा का इतिहास अत्यत प्राचीन है इसकी प्राचीनता एवं विद्धता का प्रमाण मनुस्मृति से ज्ञात होता है।

Keywords:- जनजाति समाज, शिक्षा, मूल्यांकन, शैक्षणिक परिवर्तन

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय विकास में मानवीय विकास का दर्शन होता है। यदि शिक्षा स्तरीय, मूल्यवान व विद्यार्थियों में सर्वोत्तम गुणों को विकसित करने वाली होगी तो निश्चय ही वह राष्ट्र निरन्तर उन्नत होता जाएगा।

जन्म लेने के पश्चात ही प्राणी अपनी परिस्थितियों का सामना करने लगता है और विकासोन्मुख होते हुए आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में वह अनुभव ग्रहण करता है। इस अनुभव ग्रहण करने में ही उसकी शिक्षा निहित रहती है। मानव–जीवन में शिक्षा का वही महत्व है जो पेड़–पौधों के लिए कृषि का होता है।

वास्तव में सभी प्रकार की शिक्षाओं का मूल आधार यही होता है कि बालक को इस योग्य बनाया जाए कि वह अपना और अपने आश्रितों का भरण–पोषण ठीक ढंग से कर सके लेकिन यह भी सत्य है कि यद्यपि मनुष्य बिना रोटी के जिन्दा नहीं रह सकता तथापि वह सिर्फ रोटी से भी जिन्दा नहीं रह सकता अर्थात उसे शिक्षित होना भी परम आवश्यक है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपनी परिस्थितियों से बेहतर ढंग से बिना कुमार्ग का अनुसरण किये सामंजस्य बना कर रह सकता है।

बालक शारीरिक गति, सांवेगिक भाषा, नैतिकता आदि के विकास के लिए परिवार में शिक्षा प्राप्त करता है, जबकि विद्यालय में औपचारिक शिक्षण द्वारा उसकी भाषा, मानसिक विकास और कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है।

मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा आधारभूत आवश्यकता मानी जाती है। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, सोच में वैज्ञानिकता और प्रयोग में सृजनात्मकता का बीजारोपण करती है। जिससे वह अपने समाज और राष्ट्र का उपयोगी नागरिक बन जाता है। इस प्रकार शिक्षा ही समाज की प्रगति, विकास, परिवर्तन और स्थिरता का मुख्य साधन है। समाज की उन्नति हेतु शिक्षा की सेवा कितनी महान और अमूल्य है, इस सम्बन्ध में हार्न **;भ्वतदमद्ध** महोदय ने लिखा है– ''शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है, और उस चित्र को प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित रखती है, यह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है, यह ज्ञान और शक्ति से वर्तमान संग्रह में वृद्धि करके और इस प्रकार भविष्य को भूत से अच्छा बनाने की सम्भावना का सर्वोत्तम कार्य करती है।''[1]

भारत वर्ष में शिक्षा की जड़े अत्यन्त गहरी समायी हुई है। इसे समृद्धिशाली बनाने में हमारे ऋषियों, मनीषियों का प्राचीनकाल से ही अद्वितीय योगदान रहा है। मनीषियों ने अपने चिंतन–मनन के द्वारा भारतीय जनमानस को ज्ञान सम्पन्न बनाने हेतु गुरूकुलों, मठों, संघों, बिहारों के माध्यम से सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया। जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता–संस्कृति, शिक्षा, उच्च आदर्शो, मूल्यों मान्यताओं से सम्पृक्त हुई और शिक्षा व्यक्ति के सर्वतोभावेन कल्याण की आधारशिला बनी।

प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रारम्भ अतीत के उस युग में हो चुका था, जिस समय विश्व के अनेक भागों के निवासी जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन भी कठिनाई से जुटा पाते थे। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक जीवन की शिक्षा थी। शिक्षा वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिये अनिवार्य तत्व है। इस तथ्य को प्राचीन भारतीय–मनीषियों ने भलीभाँति समझा और इसी कारण सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही भारत में शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई। यह शिक्षा प्रणाली किसी विदेशी शिक्षा प्रणाली पर आधारित नहीं थी, अपितु भारत की अपनी मौलिक शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें भारतीयता पूर्णरूपेण प्रतिबिम्बित होती है। डा0 थामस ने कहा है कि ''शिक्षा भारत में विदेशी नहीं

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, May 2022
Impact Factor: 6.252

है। ऐसा कोई भी देश नही है, जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से प्रारम्भ हुआ हो या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक तक शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्विध्न क्रम रहा।''[2]

शिक्षा ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय अर्थात् 21 वीं सदी तक की एक विशाल लम्बी यात्रा तय की है इस यात्राा में शिक्षा ने अपा स्वरूप विविध परिस्थितियों में परिवर्तित एवं संवर्धित कर विश्व समुदाय का उचित मार्ग दर्शन किया है।

पहले शिक्षण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी इन सभी वर्णो का निम्रण कर्म के आधार पर किया जाता था इसका प्रमुख उदेश्य प्रत्येक व्यक्ति में किए व्यवस्थित रूप से कार्य का नियोजन था।

स्वतंत्रता पश्चात् भारतीय समाज में बहुत से परिवर्तन हुए जिनमें अनुसूचित जनजनजाति, जनजाति के लोग उच्च जनजनजाति में लोगों की जीवन शैली को पकडने की कोशिश कर रहे है।

सदियों से अनुसूचित जनजनजाति के लोगों को समाज से दूर रखा और उनके लिए समाज के सारे द्वार बदले जिसकी वजह से इन लोगों का स्तर निरन्तर गिरता चला गया।

समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूचित जनजनजाति का है। इन्हीं समाज में उचित स्थान पाने के लिए एक लम्बी दूरी तक करनी है।

भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज है जो अत्यधिक स्तरीय और व्यापक सामाजिक–आर्थिक असामानता से ग्रस्त है शिक्षा आयेग की रिपोर्ट के अनुसार 'भारतीय समाज सदियों पुराना है जिसमें कई डिविजन रहे है।'' स्तरीकृत समाज होने के कारण ही यॉ गरीब और अमीर वर्ग बन गये है। एक ओर तो स्पृश्य और दूसरी तरफ गैर–स्पृश्य समाज बन गया है इसलिए हमारे समाज को अनुसूचित जनजनजातियों और गैर अनुसूचित जनजनजातियों में बांटा गया है लेकिन आजादी के बाद समाज में क्रान्तिकारी बदलाव आया है जिसे एक महत्वपूर्ण विकास की ओर देखा जाने लगा है वर्तमान अध्ययन अनुसूचित जनजनजाति के छात्रों पर केनिद्रत है। कुछ जनजनजातियों को एक समय तक उच्च वर्गों द्वारा उपेक्षित किया जाता रहा है। ये जनजनजातियां निम्न रही है – अहेरी, बागरी, मोची, जाटव, ढोली, कोली, महावर, रावत, पासी, मेघवाल आदि।

सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद हारे देश की मुख्य धारा में अनुसूचित जनजनजाति समाज को अभी पूरी तरह से नही जोडाा जा सका है

अनु. 46 में कहा गया है कि राज्य विशेष देखभाल के साथ समाज के कमजोर वर्गो में शैक्षिक और आर्थिक हितो का अइनुसूचति जनजनजातियों के लिए विशेष रूप से विकास करेगा। उन्हे सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्ति दिलायेगा।

तदनुसार संघ और राज्य सरकारों ने इन जनजनजातियों के शैक्षिक विकास की दिशा में कई उपायों की शुरूआत की है जैसे– निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति मिड डे मील, आवासीय सुविधा आदि।

यह मुख्य मुदा है कि अनुसूचित जनजनजातियाकं के छात्रों के लिए जौविकास की नीतियां और लम्बी अवधि वाले कार्यों व नीतियों को सरकार निकट संपर्क में आने वाले गैर अनुसूचित जनजनजाति के छात्रों के साथ बनाये जिसके सार्थक परिणाम निकलेगें। अनुसूचित जनजनजाति एवं गैर अनुसूचित जनजनजाति से सम्बन्धित कई शोध कार्य भारत में हुये उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर समायोजन की स्थिति पर, मूल्यों पर किन्तु शोध कार्य की सीमा निश्चित नही होती है समस्यायें आती रहती है और शोध कार्य द्वारा उनका समाधान ढूंढा जाता है इसी प्रसंग में प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा अनुसूचित जनजनजाति एवं जनजनजाति एवं गैर अनुसूचित जनजनजाति के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि एवं शैक्षिक दुश्चिता को आधार बनाकर उनके संवेगों और शैक्षिक दुश्चिता का अध्ययन करना है कि हमारे भावों का जीवन में अत्यधिक महत्व है और वर्तमान समय में शिक्षा और मनोविज्ञान का सम्बन्ध संवेगों से उत्तरोत्र बढ रहा है। संवेगों और संवेगात्मक बुद्धि लब्धिा का अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में नवीन सम्प्रत्यय है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, May 2022
Impact Factor: 6.252

शोध के उद्देश्य

1. अनुसूचित जनजनजाति सीधी जिले के विद्यार्थीयों की संवेगात्मक बुद्धि में अंतर करना।
2. अनुसूचित जनजनजाति सीधी जिले के विद्यार्थीयों की शैक्षिक दुश्चिंता में अंतर करना।
3. अनुसूचित जनजनजाति सीधी जिले के विद्यार्थीयों की संवेगात्मक बुद्धि एवं शैक्षिक दुश्चिंता में अंतर करना।
4. अनुसूचित जनजनजाति के बच्चों के बुद्धि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर सम्बन्ध का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध में रखते हुए निम्न पद्धतियों का उपयोग किया गया है

निदर्शन पद्धति

अध्ययन को स्वरूप देने के लिए उद्देश्य परक निदर्शन के अंतर्गत सीधी शहर का चयन किया गया सीधी शहर में रह रहे जनजनजाति का चयन निदर्शन के माध्यम से किया गया है

शोध उपकरण

प्रश्नावली

अध्ययन को स्वरूप प्रदान करने के लिए सीधी शहर क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजनजाति से प्रश्नावली के माध्यम से उनकी राय और विचारों को जानने के प्रयास किए गए हैं तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया है प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न के रूप में खुला प्रश्न दिया गया जिसके माध्यम से प्रतिभागियों के विचारों को भी शोध में शामिल किया गया है

अनुसूची

कुछ प्रतिभागियों को प्रश्नावली समझने में समस्या होने के कारण उनसे राय और विचार जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग यहां अनुसूची के रूप में भी किया गया है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकडों का प्रस्तुतिकरण

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की लोकप्रियता और कार्य पद्धति को केन्द्र में रखकर यह शोध कार्य किया गया है। तथ्यों और आंकड़ों को प्रश्नावली, अनूसूची के माध्यम से एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध सीधी शहर में रहने वाले जनजाति पर विशेष रूप से केन्द्रित है। अध्ययन में जिनमे विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। तथ्य संकलन हेतु पचास से अधिक प्रश्नावली, अनुसूची को भरवाया गया है। लेकिन तथ्य विश्लेषण में पचास प्रतिभागियों के मतो को शामिल किया गया है। तथ्य संकलन का कार्य अप्रैल 2022 में किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में कुल 03 प्रश्नो को शामिल किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों को अध्ययन हेतु केन्द्र में रखा गया है। साक्षात्कार अनुसूची में विकल्प के रूप मे हॉ, नही आ ैर पता नही को तथ्य संकलन हेतु आधार बनाया गया है। जो इस प्रकार है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, May 2022
Impact Factor: 6.252

तालिका क्र.:– 01

1. आपके गॉव में लड़कियों को पढ़ाना अच्छा समझा जाता है?

क्र.	उत्तरदाता	प्रतिशत	प्रतिशत
1.	हाँ	18	36:
2.	नही	32	64:
	योग	**50**	**100:**

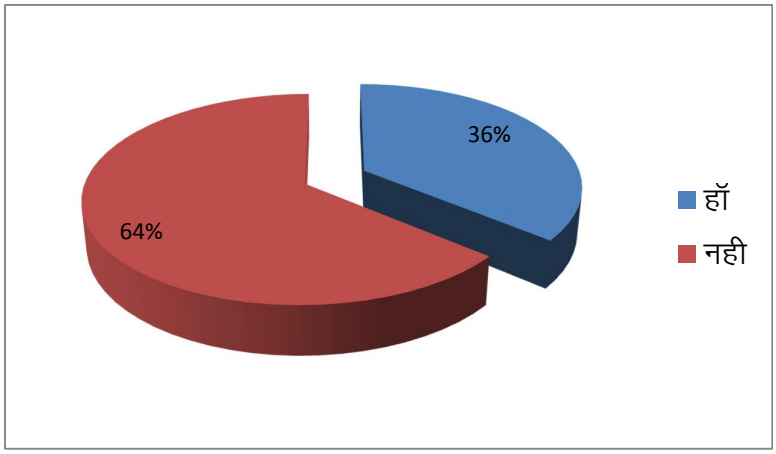

विश्लेषण–

तालिका क्रमांक 1 के आँडाके के के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 36 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि उनके गॉव में लड़कियों को पढ़ाना अच्छा समझा जाता है, जबकि 64 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि उनके गॉव में लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नही समझा जाता है।

तालिका क्र.:– 02

2. माता–पिता की निर्धनता के कारण आपकों शाला नही भेजा जाता है?

क्र.	उत्तरदाता	प्रतिशत	प्रतिशत
1.	हाँ	13	26:
2.	नही	37	74:
	योग	**50**	**100:**

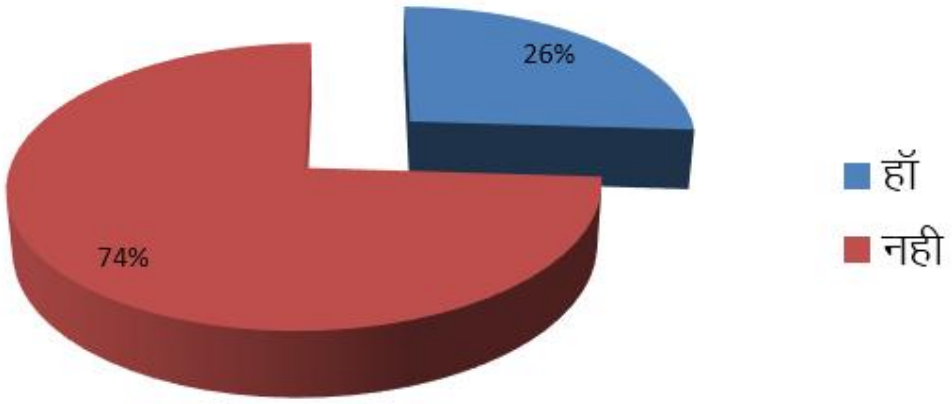

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, May 2022
Impact Factor: 6.252

विश्लेषण–

तालिका क्र. 2 के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 26 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि उनके माता–पिता की निर्धनता के कारण उनको शाला नही भेजा जाता है, जबकि 74 प्रतिशत बालिकाये पूरी तरह से असहमत है।

तालिका क्र.:– 03

3. क्या विद्यालय की घर से दूरी अधिक होने के कारण बालिकाओं को विद्यालय नही भेजा जाता है?

क्र.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	29	58:
2.	नही	21	42:
	योग	**50**	**100:**

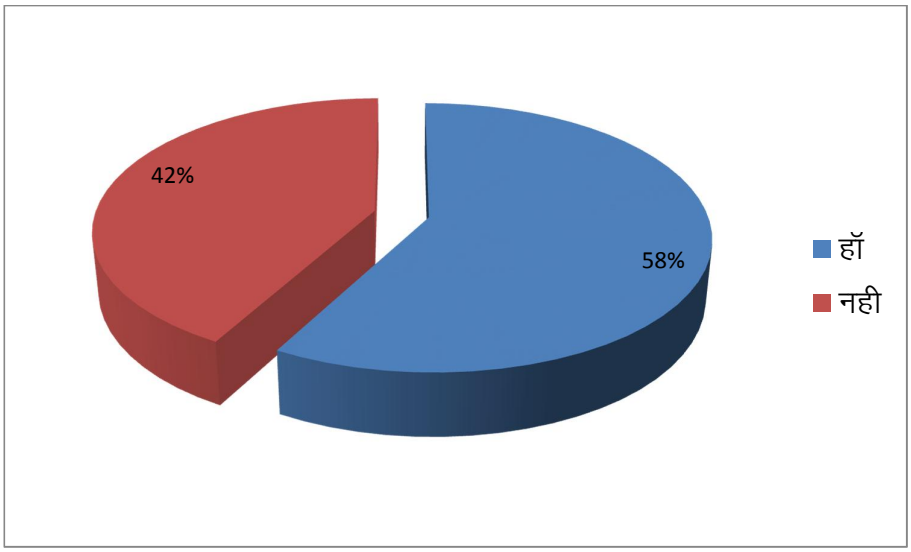

विश्लेषण–

तालिका क्र. 03 के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 58 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि विद्यालय की घर से दूरी अधिक होने के कारण बालिकाओं को विद्यालय नही भेजा जाता है, जबकि 42 प्रतिशत बालिकाऐं पूरी तरह असहमत है।

शोध निष्कर्ष

शिक्षा के प्रति अधिकांश अनुसूचित जनजाति के माता पिता का दृष्टिकोण सकारात्मक होते हुये भी अनेक समस्यायें है। उनमें से कुछ प्रत्यक्ष रूप में जैसे किताबें, स्कूल ड्रेस इत्यादि। ओर कुछ अप्रत्यक्ष रूप में जब लडकी दस साल के लगभग हो जाती है तो वह घर पर बच्चों के खिलाने के अलावा उनके गरीबीपन को दूर करने मे माता–पिता के साथ बडे लोगों के यहाँ काम पर जाती है। शिक्षा निशुल्क होने के बाबजूद भी बालिकायें घर में रोजी रोटी को अवश्यकताये पूर्ति करने मे सहयोंग करने के कारण जिस अनुपात मे अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की प्रगति होनी चाहिये, नहीं हो सकी ।

'दृष्टिकोण सकारात्मक होने के कारण आज अधिकाँशतः अभिभावक लड़कियों को लक्ष्मण रेखा के अंदर रखने के खिलाफ है। एवं लडकियो का अधिक नियंत्रिण उनके स्वयं के विकाश, परिवार के विकाश, समाज, एवं राष्ट्र के विकास में बाधक है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, May 2022
Impact Factor: 6.252

सरकार द्वारा चलाई गयी योनायें मात्र कागजों पर चल रही है बालिका शिक्षा की प्रगति हेतु यह कार्य रूप मे पर्णित नही हो पा रही है। मास्टर अपनी जिम्मेदारी नही समझ रहें है मात्र बच्चों को घेर कर रखते है जैसे कि जानवरों को बन्दी ग्रहों मे घेर कर रखा जाता है। उनमें शिक्षा के प्रति रूचि जाग्रत नही की जाती, उनमें प्रेरण का अभाव है इसलिए बच्चे पूरे समय विद्यालय में नही रहते, विद्यालय समय पर न पहुँच कर पूरे दिन आते जाते रहते है। विद्यालय मे अन्य जनजाति के छात्रों द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के साथ जनजाति सम्बन्धी घर पर बालिकाओं से अधिक कार्य कराने की परम्परा अभी भी चली आ रही है बालिकाओं पर बालकों की अपेक्षा पाबन्दियाँ अधिक है इसलिए बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के प्रति अभिवकों का सकारात्मक दृष्टिकोण होते हुये भी गति धीमी है।

प्राथमिक स्तर पर मध्याहन पोषाहार के नाम पर प्रति माह प्रति छात्र 3 किग्रा, गेहूँ देने से नामांकन संख्या में वृद्धि तो हुयी है लेकिन उनमें गुणात्मक सुधार नाम मात्र भी नहीं आ रहा है क्योकि छात्रों के नामांकन मे वृद्धि हो रही है परन्तु अध्यापकों की संख्या मे वृद्धि नही हो रही है कई स्थानों पर एकल विद्यालय अर्थात एक अध्यापक ही विद्यालय चला रहा है यदि किसी दिन अध्यापक को किसी कार्यवश विद्यालय उपस्थित न हो सका तो उस दिन विद्यालय बंद रहता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय मे कम से कम दो अध्यापक होना अति आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाए गृह कार्य जो विद्यालय मे दिया जाता है। समय न मिल पाने के कारण उन्हें विद्यालयों मे सहपाठियों के सम्मुख अध्यापक द्वारा दण्डित किया जाता है। कुछ विद्यालयों मे अध्यापक भी गृह कार्य नही देते है यदि दे भी देते है तो नियमित रूप से इसकी जांच नहीं करते है जिससे इस जनजाति विशेष के बच्चों का अध्यापकों के साथ समायोजन नही हो जाता है और अनायास ही वे अध्यापक/अध्यापिका के प्रति अनेक आशंकाओं से ग्रंसित हो जाती है।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

1	अग्रवाल डा. वी. पी. (1996)	''राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन'' अनु बुक्स शिवाजी रोड, मेरठ
2	ओड़ लक्ष्मीलाल के. (1993)	''शिक्षा के नूतन आयाम'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
3	इन्द्रा (1980)	''स्टेटम आफ वूमेन इन एनसियेट इण्डिया'' मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, बनारस
4	कौर राजकुमारी अमृत (1995)	''द वूमेन'' नवजीवन पब्लिशर्स हाऊस, अहमदाबाद
5	कपिल एच. के.(1992)	''अनुसंधान विधियं'' हरप्रसाद भार्गव, आगरा
6	क्रलिंगर फ्रेड एन.	''फाउन्डेशन ऑफ विहेवियर रिसर्च'' सुरजीत पब्लिकेशन, दिल्ली
7	कोवन मीना जी..(1912)	''एजुकेशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया'' ओलीफेन्ट एनर्सन एण्ड फेरियर लन्दन
8	गैरेट एच.ई.एण्ड बुडवर्स आर. एस. (2008)	''शिक्षा और मनोविज्ञान मे सांख्यकीय'' कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली
9	चौबे झारखण्ड एण्ड श्रीवास्तव कन्हैयालाल (1991)	''मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति'' उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ
10	तिवारी आदि नारायण (1986)	''शैक्षिक मापन और शिक्षा में सांख्यिकी'' रामनारायण लाल बेनी माधव, इलाहाबाद
11	छास गुप्ता, ज्योति प्रोवा.(1938)	''गर्ल्स एजूकेशन इन इण्डिया'' कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
12	पाण्डेय राम सवल .(1987)	''रष्ट्रीय शिक्षा'' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
13	मजूमदार आर.सी. (1998)	''ग्रेट वूमेन ऑफ इण्डिया'' अवदवेता आश्रम, अल्मोडा